



FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

श्रीमान उपखण्ड मजि. महो. मुकाम

नदरई (महलपुर)

अमरसिंह बोहर

बनाम

राज. लखार वगै

कसम मुकदमा नम्बरी फौजदारी नं०

सन् 2025


नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

बरोलीरान के खाम स. 554 के ख. नं. 1435 रडवा 0.69 है. में अमरसिंह पुत्र विस्सी जाति जाय साठ बोहर तहसील कुम्हेर ज. रिपोर्ट है. गत रिपोर्ट में प्राची अमरसिंह एवं उनके पिता विस्सी की जाति जाय होना पया गया है. हाल रिपोर्ट में अमरसिंह पुत्र विस्सी साठ बोहर तहसील कुम्हेर ज. जाते कि जन्म है. अमरसिंह पुत्र विस्सी साठ बरोलीरान ज. किया जाता है. जो कि सही है. प्राची का नाम अमरसिंह पुत्र विस्सी साठ बोहर तह. कुम्हेर के खान अमरसिंह वंश पुत्र विस्सी साठ बरोलीरान ज. किया जाना उचित है.

हमने बहस पर मनन किया एवं फावपी का अवलोकन किया तथा तहसीलदार नदरई की रिपोर्ट व अवलोकन किया तो प्राची द्वारा प्रस्तुत ज. पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः प्राची का पुत्र स्वीकार किया जाकर प्राची का नाम जमावन्दी के खाम स. 554 के ख. नं. 1435 वाके ज. बरोलीरान में अमरसिंह पुत्र विस्सी साठ बोहर तह. कुम्हेर के खान पर अमरसिंह वंश पुत्र विस्सी साठ बरोलीरान तह. नदरई किया जाता है. उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन किया जावे. पत्रावली के सल शुमार होकर कारिबल दफ्तर नो. 

अमरसिंह बोहर